

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VII/1/2007.- -पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (केवल नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (केवल नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (केवल नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) निम्नलिखित को विनियम 2008 के विनियम 11 में प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् :-

“11. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि.198(अ) दिनांक 19-03-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि 604(अ) दिनांक 09-07-2010 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VII/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely :—

“11. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT III 4 Exty. 188 14]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* GSR 198(E) dated 19/03/2008 and amended *vide* GSR 604(E) dated 09-07-2010.